फलतः आज दिनांक कोई प्रयोजन में पेश हुई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। ग्राम धमोरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 1241, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321 किता - 6 कुल रकबा 5.44 है. का वादी एवं प्रतिवादीगणों में आपसी सहमति से विधिवत विभाजन हो चुका है तथा विभाजन प्रस्ताव पर सभी उभय पक्षों के हस्ताक्षर एवं फोटो चस्पा है वादी प्रस्तुत प्रा.पत्र अ. धारा 151 के तहत उक्त विभाजन प्रस्ताव को अपास्त करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि का विभाजन दिनांक 30.11.2010 को तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विभाजन के लगभग 7 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है अगर विभाजन पर कोई एतराज था तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर प्रार्थी अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र अ. धारा 151 CPC का आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड
उदयपुरवाटी